

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष **2009-10**

अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम **डॉ. शिखर वासुदेव पाण्डे** वर्तमान धारित पद **प्राचार्य सरोजिनी नयड शास्त्रीय कल्याण**
 वर्तमान वेतन **मुलावेतन रु. 20900/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जून-2010** **स्नातकोत्तर** परीक्षा **पराधीनता**

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यारे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया। खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्यारे	संपत्ति की वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1 ग्राम शाहपुरा	2 एम. शाहजी खेत (BDA) जिले	3 2400 Sq. ft 60x40'	4 30.00 (मी. मी.)	5 व्यक्तिगत पर धारित	6 इजिस्ट्री के द्वारा (BDA के) द्वारा-10.50 मी. मी. विक्रय पत्र क्रमांक 13.1.03 श्री. राजेश पाण्डे द्वारा मिला गया अथ अन्य द्वारा	7 निर्णय	8 श्री. मनीष किसान 4-11-2002 आगत - 1/11/02 500 रु.
2 पट्टे जिले	श्री. राजेश पाण्डे (विरासत) - अथ अन्य	2.00 रु. मी. (अचल माल)	18.00 रु. मी.	व्यक्तिगत पर धारित			

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी- म.प्र. शासकीय सेवक (आंतरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारट महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यारे दें।

नाम **डॉ. शिखर वासुदेव पाण्डे**
 पद **प्राचार्य**
 विभाग **स्नातकोत्तर**